न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2024 / 38 दर्ज दिनांक : 24.07.2024

1. बजरंगलाल पुत्र अमरूराम जाति जाट निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू राज.
2. भगवानी देवी पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू राज.

–वादी–

बनाम

1. हनुमानाराम पुत्र अमरूराम जाति जाट निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू
2. श्रामपाल पुत्र अमरूराम जाति जाट निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू राज.
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाख चूरू राज.
4. श्रीमान उप पंजीयक चूरू तहसील व जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– शिवगौतम
अप्रार्थी संख्या 01:– विनोद दनेवा
अप्रार्थी संख्या 02:– संजीव मीणा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

: निर्णय :

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि यह कि उपरोक्त अनुवानी दावा प्रार्थीगण ने अदातलवाला में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थीगण को पूर्ण आशा है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 236 तादादी 8.9410 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि कृषि भूमि में प्रार्थीगण सम्पूर्ण कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 2.9803 हैक्टेयर की है जिसे प्रार्थीगण के हिस्से कब्जा काश्त के अनुसार कृषि भूमि का खाता विभाजन लगान एनेक्चर ए के अनुसार अलग किया जावे। इसलिए अतादतल मातहत में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। यह कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 के अविभक्त रूप से संयुक्त कब्जे व काश्त में चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।यह कि अब अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की संयुक्त कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर अपने अलग–अलग हिस्से पर काश्त कर रहे है और वादगत कृषि भूमि शामलात में रहने से वादग्रस्त कृषि भूमि के अच्छे व हल्की किस्म को लेकर व काश्त के मध्य लूंग पाला व रास्ता बाबत आदि को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवायें जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 कि प्रतिदिन उक्त कृषि भूमि के विभाजन का यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 जो कि प्रतिदिन उक्त कृषि भूमि को बेचान के [illegible] है जो कि प्रतिदिन भूमाफिओं को लेकर उक्त खेत में आते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण [illegible] अधिकारों से वंचित रह जायेंगे व प्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टया [illegible] सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यह कि उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण के हिस्से तक विभाजन कर रास्ते का अंकन [illegible]वे। यह कि प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 को कहा व कहलवाया कि [illegible]थ चलकर प्रार्थीगण के [illegible] खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग–अलग कायम करवा लें मगर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 टाल–मटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 19.07.2024 को अप्रार्थीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है। यह कि उक्त कृषि भूमि रहन होने के कारण बैंक को पक्षकार संख्या 03 बनाया गया है। यह कि उक्त कृषि भूमि का विशेष हिस्सा विक्रय पत्र, उपहार पत्र इत्यादि ना करें इसलिए उप पंजीयक महोदय चूरू को पक्षकार संख्या 04 बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र कृषि भूमि का विभाजन का है तथा लैण्ड होल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र हाजा में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया है। मगर प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार के हितें के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रार्थना पत्र से पूर्व धारा 80 सीपीसी के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि निवास स्थान फेरिकेन वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। यह कि प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का सिद्धान्त व अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 को ताफैसला वाद वर्जित किया जावे कि कृषि भूमि पर प्रार्थीगण को काश्त करने से ना राके, ना बेदखल करें ना ही सदामत रास्ते को रोके, ना ही किसी दीगर व्यक्ति द्वारा एंसा करवायेएवं मौके पर कृषि कार्य से अकृषि ना किया जावे एवं ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जावे वा ना ही प्लॉटिंग की जावे जिससे खातेदारों पर किसी प्रकार का विपरीत असर ना पड़े जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिकवक्ता विनोद कुमाद दनेवा तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता संजीव मीणा ने उपस्थिति दी अप्रार्थी संख्या 03 से 05 पर तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 03 में अंकित तथ्य में अनेक्चर ए के अनुसार रास्ता कायम किये जाने के तथ्य को अस्वीकार किया है तथा विशेष कथन काउंटर क्लेम में कथन यिा है कि खसरा नम्बर 236 तादादी 8.9410 हैक्टैयर वाके राही मौजा दांदू तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसकी नपती करवाया जा कर 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार किया जावे व सभी काश्तकारों को बराबर हिस्सा कायम किया जावे। उक्त खसरा नम्बर 236 में सीवो के पास–पास खसरा नम्बर 384/232, 383/232 के सीवो के पास पास होते हुए एनेक्चर बी के अनुसार किया जावे व रास्ते की कम हुई भूमि के बाद सभी काश्तकारों का 1/3 हिस्सा कायम किया जवे। प्रार्थीगण द्वारा कुचेष्ठा कर मुझ अप्रार्थी संख्या 01 की फसल को नुकसान पहुचाने व बार–बार मुझे काश्त करने में अवरोध पैदा करने के लिए यह मनगढन्त तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व अपनी मनमर्जी से अनेक्चर ए में रास्ता स्वयं द्वारा ही दर्शाया गया है ताकि मे। अप्रार्थी सं. 01 अपनी भूमि पर काश्त नही कर सकूं जब कि उक्त एनेक्चर ए के अनुसार रास्ता खेतो में जाने का नही रहा है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि ख.नं. 236 के अपने हिस्से में जाने के लिए ख.नं. 384/232 ख.न.383/232 दिखनादी सीव सहारे सहारे व [illegible] की तरफ से अपने हिस्से की कृषि भूमि में प्रवेश करे जिसका अप्रार्थी सं. 01 के पास [illegible] हिस्सा है उसमें आवगमन नहीं करे ना कोई ऐसा कार्य या उपकार्य करे जिस[illegible] खातेदारी भूमि में काश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न हो। अप्रार्थी संख्या 02 [illegible] के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर ज़वाब प्रार्थना–पत्र बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 236, रकबा 8.9410 हैक्टेयर, ग्राम दान्दू, तहसील व जिला चूरू प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी एवं अविभक्त कब्जा काश्त की भूमि है। जमाबंदी सम्वत 2071–2074 से संयुक्त खातेदारी प्रमाणित होती है। यह भी तथ्य स्पष्ट है कि अभी तक उक्त कृषि भूमि का विधिवत खाता–विभाजन नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार अविभक्त रूप से भूमि पर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि संयुक्त भूमि होने से रास्ता, काश्त, भूमि की किस्म एवं उपयोग को लेकर निरन्तर विवाद बना रहता है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि विक्रय/हस्तांतरण की कोशिश की जा रही है। यदि अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखी जावे तथा प्रार्थीगण को काश्त से न रोका जाए। अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब व काउन्टर–क्लेम अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि खसरा नम्बर 236 संयुक्त खातेदारी की भूमि है। सभी खातेदारों का 1/3–1/3 हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 का यह कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अनेक्चर–A में स्वयं की सुविधा अनुसार रास्ता दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की काश्तकारी भूमि में बाधा उत्पन्न करता है। प्रार्थीगण वैकल्पिक मार्ग (खसरा नम्बर 384/232, 383/232 की सींव के सहारे) से अपने हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं। प्रार्थीगण द्वारा काश्त में अवरोध उत्पन्न करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि भूमि अविभक्त है, खाता–विभाजन का मूल वाद विचाराधीन है रास्ते एवं हिस्से का निर्धारण अंतिम निर्णय / नपती / सीमांकन के बिना संभव नहीं है। इस अवस्था में यदि कोई पक्ष भूमि का विक्रय, निर्माण, प्लॉटिंग या भूमि की प्रकृति परिवर्तन करता है, दूसरे पक्ष की काश्त में हस्तक्षेप करता है, तो इससे वाद के अंतिम निर्णय को निष्फल करने की प्रबल संभावना है। न्यायालय की दृष्टि में इस स्तर पर रास्ते का अंतिम निर्धारण प्रारम्भिक डिक्री में/विभाजन प्रस्ताव में होना है किसी विशेष एनेक्चर के अनुसार मार्ग माना जाना पूर्व–निर्णय (pre&judging) होगा, जो न्यायसंगत नहीं है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रथम दृष्टया मामला दोनों पक्षों के अधिकारों के संरक्षण का है, सुविधा का संतुलन भूमि की यथास्थिति बनाए रखने में है, दोनों पक्षों को अपूरणीय क्षति से बचाव हेतु अंतरिम आदेश आवश्यक है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 236, रकबा 8.9410 हैक्टेयर के संबंध में वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखी जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 एक–दूसरे की काश्त में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी को बेदखल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का निर्माण, प्लॉटिंग, विक्रय, दान, बंधक अथवा भूमि की प्रकृति परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई भी पक्ष एक–दूसरे के काश्तकारी अधिकारों में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, रास्ते को लेकर कोई नया परिवर्तन मौके पर नहीं करेगा। यह आदेश किसी भी पक्ष के वर्तमान प्रचलित आवागमन के मार्ग को परिवर्तित करने हेतु नहीं माना जाएगा रास्ते, हिस्से एवं कब्जा काश्त का अंतिम निर्धारण खाता–विभाजन वाद के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू